

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2022


समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
म.प्र.।

विषय- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।
संदर्भ:- विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, दिनांक 11 फरवरी,
2022.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व में लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त करता है।


यह अपेक्षा रहेगी कि नागरिक पूर्ववत: मास्क का उपयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।


(~~डॉ. राजेश राजवानी~~)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2,
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2022

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन।
 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय गृहमंत्री, म.प्र.शासन।
 4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र.शासन।
 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव-कृपया अपने विभाग से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
 6. पुलिस महानिदेशक, म.प्र.।
 7. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
 8. समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
 9. पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस जिला भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।
 10. समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग